अफोर्डेबल स्कूलिंग
कमेंडेबल लर्निंग

NISA
National Independent Schools Alliance

namaskar

प्रारंभ संस्करण | English Adaptation
नीसा परिवार की ओर से
१९ राज्य
८०००+ स्कूल
१६,००,०००+ शिक्षार्थी
आज ही **सदस्य बनिए** ! नीसा से जुड़िये

नेशनल इन्डिपेन्डेन्ट स्कूल्स एलायंस (नीसा) भारत के उन सभी बजट प्राईवेट स्कूलों (बीपीएस) की एकीकृत आवाज़ है, जो आर्थिक तौर पर गरीब लोगों तक सस्ती और गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा पहुँचाने के संयुक्त उद्देश्य से जुड़े हुए हैं!

सम्पादकीय: आरटीई के तहत बंद होने वाले स्कूलों से जुड़े तथ्य

आरटीई के प्रावधानों को पूरा न करने के कारण बंद हुए या होने की कगार पर खड़े स्कूलों पर हमने कुछ तथ्य जुटाए हैं. **पंजाब** और **हरियाणा** जहाँ सुनवाई चल रही है, वहाँ का डेटा प्रमाणित है, और **आंध्र प्रदेश** (एपी), **दिल्ली**, **झारखंड**, **महाराष्ट्र**, **तमिल नाडु** (टीएन) व **उत्तर प्रदेश** (यूपी) का डेटा मीडिया रिपोर्ट्स से लिया गया है:

तथ्यों के अनुसार:
१. पंजाब: ९३१ बंद किये गए, २१९ बंद होने को हैं (कुल ९३०१ निजी ग़ैर-मान्यताप्राप्त स्कूलों का १०%, करीब ११५० स्कूलों में २३०,००० शिक्षार्थी)
२. हरियाणा: हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर के चलते १३७२ स्कूलों में २७५,००० शिक्षार्थीयों के अधिकार सुरक्षित
३. कुल ५५९ (एपी में ५२९ और टीएन में ३०) स्कूल बंद होने के चलते करीब ११०,००० शिक्षार्थी स्कूल से बाहर हुए
४. दिल्ली (२२००), टीएन (३०००) व एपी, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी (सभी में १५०-३००) में करीब ६११६ स्कूल बंद हुए या होने वाले हैं.
5. ८ राज्यों के ९२०० स्कूलों में २०० प्रति स्कूल के औसत से शिक्षार्थीयों की संख्या का आंकड़ा १,२००,००० पार कर जाता है. भारत भर के आंकड़े और भी अधिक होंगे.

पूछे जाने वाले **महत्वपूर्ण सवाल** यह हैं:
क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रभावित शिक्षार्थीयों के लिए कोई वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था मुहैया की है? जहाँ आरटीई सभी के लिए शिक्षा देने के लिए लाया गया था, वहाँ इसके उलट क्यों हो रहा है? यह १२ लाख बच्चों को उनके चुने हुए स्कूलों से दूर या बाहर क्यों रख रहा है?

फ़ीचर: एनबीईआर वर्किंग पेपर

हाल में ही **द अग्रीगेट इफेक्ट ऑफ़ स्कूल चॉइस: एविडेंस फ्रॉम अ स्कूल चॉइस एक्सपेरिमेंट इन इंडिया** शीर्षक से हुई शोध ने आंध्र प्रदेश में स्कूल चयन प्रोग्राम के प्रभाव के प्रयोगात्मक प्रमाण दिए हैं. दो स्तरों पर हुए इस शोध में एक विशेष लौटरी द्वारा स्कूल वाउचरों का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक शिक्षार्थी-स्तरीय और एक बाज़ार-स्तरीय प्रयोग बना.

यह पाया गया की सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में निजी स्कूलों के शिक्षकों के पास कम शिक्षा और ट्रेनिंग होती है, और उन्हें काफी कम वेतन दिया जाता है. दूसरी तरफ, निजी स्कूलों में एक दिन में ज्यादा देर तक पढ़ाई होती है, एक साल में ज्यादा दिन कक्षाएं चलती हैं, एक क्लास में कम बच्चे होते हैं, शिक्षक कम छुट्टी लेते हैं, ज्यादा काम करते हैं, और स्कूल में साफ़ सफाई बेहतर होती है. चार साल के इस शोध में सामने आया की निजी स्कूलों में औसत प्रति शिक्षार्थी लागत सरकारी स्कूलों की एक तिहाई से भी कम है.
यह भी पाया गया की निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से (थोड़ी सी) बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं.

पूर्ण रिपोर्ट के लिए यहाँ जाएँ:
http://www.povertyactionlab.org/publication/aggregate-effect-school-choice-evidence-two-stage-experiment-india

आयोजन

वार्तालाप | नवम्बर २०, २०१३, नयी दिल्ली

Delivering Education: How the rise of private schooling changes everything?

वर्ल्ड बैंक के जिष्णु दस का अन्वेषण: कम आय वाले देशों में शिक्षा व्यवसायों की अहमियत और शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए नीति में बदलाव

सम्मलेन | दिसंबर २०, २०१३, नयी दिल्ली

स्कूल चयन वार्षिक सम्मलेन

स्कूल चयन अभियान, नीति-सुधार पहल के अंतर्गत: शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मसलों को स्पष्ट करने, मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा करने, चुनौतियों के लिए रणनीति बनाने और भारत के हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुँचाने के सरल समाधानों पर विचार के लिए पांचवी वार्षिक एससीएनसी का आयोजन

रजिस्टर करने के लिए nisa@ccs.in पर ईमेल लिखें.
अथवा नीचे दिए बटन पर क्लिक करें:

जिष्णु दास वार्तालाप | एससीएनसी

क़ानूनी सलाह लें: लीगल बाउंडरीज़

प्रश्न: क्या आरटीई एक्ट सभी बच्चों की मुफ्त शिक्षा देता है? (अभिभावक, सीलमपुर, दिल्ली)
उत्तर: आरटीई एक्ट सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं देता. सेक्शन ९ (अ) के अनुसार, हरेक लोकल अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है की वह हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाये (सिवाय उन बच्चों के जिन्हें उनके माता पिता या अभिभावक एक निजी ग़ैर-सहायताप्राप्त स्कूल में सामान्य श्रेणी में दाखिल कराते हैं.

प्रश्न: स्कूल को सरकारी मान्यता दिलाने के लिए क्या ज़रूरी है? (स्कूल ओनर, हरियाणा)
उत्तर: निजी स्कूलों को सरकारी मान्यता देने के मापदंड हर राज्य में अलग अलग हैं. आप राइट टु एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा सभी राज्यों के लिए संकलित आरटीई मैट्रिक्स (http://righttoeducation.in/rte-matrix) की मदद ले सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य के प्राइमरी एजुकेशन एक्ट और आरटीई रूल्स से सलाह लें.

प्रश्न: क्या आरटीई के प्रावधान और मानक सिर्फ निजी स्कूलों पर ही लागू होते हैं? (अभिभावक, झारखंड)
उत्तर: नहीं! सभी स्कूलों को आरटीई में शामिल प्रावधानों को मानना होगा. सेक्शन १९ (१) के अनुसार, कोई भी स्कूल (सरकारी अथवा निजी) जो आरटीई के मानक नहीं पूरे करेगा, उसे स्कूल नहीं माना जायेगा. सरकारी संस्थायें, नेशनल और स्टेट कमिश्न्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR और SCPCR) यह सुनिश्चित करती हैं.

लीगल बाउंडरीज़ आपकी आरटीई और निजी स्कूलों से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर है, चाहें आप स्कूल एडमिनिसट्रेटर, ओनर या अभिभावक हों .

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी आरटीई से जुड़े मसलों पर **मुफ्त क़ानूनी सलाह और राय** देता है. हम कानूनी विशेषज्ञ और आईजस्टिस अधिवक्ता **प्रशांत नारंग** से सलाह मशवरा लेते हैं.

अपने प्रश्न prashant@ijustice.in पर भेजें. अपनी बात साफ़ और संक्षिप्त रखें और शीर्षक में: 'लीगल बाउंडरीज़ - नीसा प्रश्न' लिखें:

आरटीई से जुड़े क़ानूनी सवाल हैं?
मुफ्त सलाह और राय लें!

opinion: RUNNING OF GREAT LOW FEE PRIVATE SCHOOLS

नीसा एसएलएस में आये १८०+ प्रतिनिधियों से कुछ प्रश्न पूछे गए: (अ) कितने लोग अफोर्डेबल निजी स्कूल चलाते हैं या उनमें काम करते हैं (80%); (बी) कितने मानते हैं कि बजट प्राइवेट स्कूल अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? (९०%); कितने मानते हैं कि अच्छी शिक्षा वह है जहाँ बच्चा कुछ सीखता है? (100%). अधिक जानिये: www.nisaindia.org/sls2013.
दुनिया भर में बेहतरीन अफोर्डेबल निजी स्कूल चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की:

"आने वाले समय में सिर्फ दो बातें शिक्षा में बदलाव लायेंगी—(एक), सही टेक्नोलॉजी, और (दो), सही एनालिटिक्स. डेटा के सही प्रयोग से करने और सीखने की परिभाषा को एक नया आयाम देना ही भविष्य की शिक्षा है.
शिक्षक का कार्य सिर्फ सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण देने का रह जाएगा और हर बच्चा अपने खुद के मार्ग और गति से सीख लेगा."

सिद्धार्थ अजीत
ग्रे मैटर्स कैपिटल

"सीखने और सिखाने के क्लासरूम और किताब के तरीकों को बदलना होगा. हमें अपने सोचने का नजरिया विस्तृत करना होगा और ऐसी शिक्षा देनी होगी जो आने वाले कल में काम आये. एक ऐसी शिक्षित पीढ़ी जो अपने ज्ञान का रोज़मर्रा के जीवन में सही इस्तेमाल करना न जानती हो, भले ही उसने कितने साल शिक्षा प्राप्त की हो, समाज के लिए किसी काम की नहीं है."

अशोक ठाकुर
मुनि इंटरनेशनल स्कूल

"शिक्षा को उसके मूलभूत सिद्धांतों तक लाना होगा. यह देखना होगा की एक क्लासरूम या किसी भी सीखने के वातावरण में क्या होता है. हमें 5As — aim (उद्देश्य निर्धारण), act (कार्य), analyse (विश्लेषण), apply (विनियोग) और assess (आकलन) — को हर शिक्षा से जोड़ना होगा. इसी नज़रिए के अंतर्गत, हमें अच्छे (और बुरे) शिक्षकों से अच्छी शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने होंगे."

शिलादित्य घोष
आईडिस्कवरआई

नीसा कार्य पर: कर्णाटक में आरटीई की ज़मीनी वास्तविकता

कर्णाटक प्राइवेट स्कूल्स जॉइंट एक्शन कमिटी (कैपजैक) के सचिव शशि कुमार डी के आरटीई के तहत २५% आरक्षण कोटा दखिलों से जुड़े कुछ मुद्दों पर तथ्य और विचार:

१. आर टी ई के तहत स्कूलों में **दाखिले के आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है**, जिससे भ्रम और प्रबंधकीय बोझ बढ़ता है. कई अभिभावक पांच से ज्यादा स्कूलों में आवेदन भरते हैं, जिससे कई बच्चों को एक से ज्यादा सीट मिल जाती हैं.

२. कुछ **एलीट स्कूलों की मांग बहुत ज्यादा है**. उनमें आवेदनों की भरमार रहती है. दूसरी तरफ, कुछ स्कूलों में कोई आवेदन नहीं आते. कई स्कूल यूँ ही सीट्स दे देते हैं, जिसके चलते दाखिले जल्दी हो जाते हैं. कुछ स्कूल एक्ट की नज़रंदाज़ी करते हैं, या अल्पसंख्यक स्कूल बन कर बच जाते हैं.

३. कई **अभिभावक झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं**. मैनेजमेंट की बीपीएल प्रमाणपत्र को चयन का मापदंड बनाने की अर्जी पर मंत्री और शिक्षा विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया. अदालतों ने माना कि ७०+% अभिभावक अपनी मासिक आय को ११,००० रुपये से कम बताते हैं (कई तो शून्य आय भी बताते हैं). जो अभिभावक आरटीई के तहत दाखिले नहीं ले पाते, वे इसका विरोध करते हैं. उनका कहना है की तहसीलदार को ५००-२००० रुपये देकर झूठा प्रमाणपत्र आसानी से लिया जा सकता है. कैपजैक ने खुद ही ऐसे कई प्रमाणपत्रों के नमूने कमिश्नर को प्रस्तुत किये हैं.

सुझाव:

१. पहला, **सरकारों को निजी स्कूल प्रबंधन संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़रूरतमंद और योग्य बच्चों को आरटीई के दायरे में ही उनकी पसंद की शिक्षा मिले**. वे मिलकर वास्तविक शिकायतों का निवारण करें और नकारात्मक प्रचार से बचें (ख़ासतौर पर उन कम या बेख़बर ग़ैर सरकारी संस्थाओं से, जो बाल-अधिकारों के नाम पर शिक्षकों और स्कूल ओनरों का उत्पीड़न करते हैं).

२. दूसरा, **सरकारों को सरकारी (पब्लिक) स्कूलिंग सिस्टम के द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की अपनी विफलता को स्वीकारना चाहिए**. उन्हें उन मुद्दों पर विचार करना चाहिए जिनके चलते क्लासरूम में सीखना नहीं हो पाता. वे सुनिश्चित करें कि शिक्षक क्लास में ज़्यादा देर रहें, और डेटा एंट्री, स्कूल ड्रापआउट/जनसंख्या सर्वे, पोलियो प्रोग्राम, इलेक्शन ड्यूटी और अन्य गतिविधियों में कम समय लगायें.

३. तीसरा, **सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए की निजी स्कूलों को अपना पैसा समय से अदा हो**. औसत प्रति शिक्षार्थी लागत को मापने के तरीके तर्कसंगत और अनुकूल हों.

नयी कर्णाटक सरकार ने निजी स्कूल संस्थाओं से मिलने के एक भी अर्जी पर कई कोशिशों के बावजूद कोई विचार नहीं किया है.
शशि को braincenter73@gmail.com पर ईमेल भेजें.

आरटीई समाचार

टाइम्स ऑफ़ इंडिया | नवम्बर १४, २०१३
Children run to seek RTE for the under-privileged
http://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/Children-run-to-seek-RTE-for-underprivileged/articleshow/25770831.cms

टाइम्स ऑफ़ इंडिया | नवम्बर १३, २०१३
Implementing RTE will stop trafficking
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-11-13/ranchi/44028343_1_trafficking-victims-rte-act-hrd-department

फोर्ब्स इंडिया | नवम्बर ७, २०१३
Impact of the RTE shutdown of schools
http://forbesindia.com/blog/accidental-investor/impact-of-the-rte-shutdown-of-schools/

लाइवमिंट | अक्टूबर २२, २०१३
The conclusive case for school choice
http://www.livemint.com/Opinion/LI8HU3WD2LsgNO8lPVyhgK/The-conclusive-case-for-school-choice.html

डीएनए | अक्टूबर २१, २०१३
RTE: Pvt schools yet to be reimbursed
http://www.dnaindia.com/academy/report-rte-private-schools-yet-to-be-reimbursed-1906590

सौजन्य: राइट टु एजुकेशन (आरटीई) प्लेटफ़ॉर्म
RightToEducation.in

NISA
National Independent Schools Alliance
ए ६९, हौज़ ख़ास, नयी दिल्ली ११००१६, भारत | +९१ ११ २६५३ ७४५६, ९८९९४८५६६७, ८१३०५६२७०२
www.nisaindia.org | nisa@ccs.in
सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की एक पहल
/RightToEducation
theRTEplatform
/company/Centre-for-Civil-Society
/CCSindiatv
SpontaneousOrder.in